रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 1975/आषाढ़ 24, 1897

No. 198] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 1975/ASADHA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th July 1975

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Nos. 41/75-Central Excises and 42/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent. *ad valorem*, *plus*, one thousand and five hundred rupees per metric tonne:

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply in relation to aluminium in any form—

(i) required by the Central Government to be supplied, as levy aluminium in pursuance of the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications and orders issued thereunder; or

(ii) manufactured by any person out of aluminium of any other form that has been supplied, in pursuance of the Order referred to in clause (i), as levy aluminium.

[No. 164/75]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 409 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाओं सं० 41/75–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 42/75–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना **मूल्यानुसार** तीस प्रतिशत और एक हजार पांच सौ रुपए प्रति मीटरी टन के योग से अधिक हो :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट किसी भी आकृति के ऐसे एल्युमिनियम को लागू नहीं होगी,—

(i) जिसे, एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं और आदेशों के साथ पठित उक्त आदेश के अनुसरण में, जैसा कि वह तत्समय प्रवृत्त हो, "लैबी एल्युमिनियम" के रूप में प्रदाय किए जाने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हो ; अथवा

(ii) जो उपर्युक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में "लैबी एल्युमिनियम" के रूप में प्रदाय किए गए किसी अन्य आकृति के एल्युमिनियम से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित किया गया हो।

[सं 164/75]

G.S.R. 410(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of Section 34 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 127/75-Central Excises, dated the 12th May, 1975, namely :—

In the Table annexed to the said notification, S. No. 22 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 165/75]

सा० का० नि० 410 (अ).—वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 34 की उप-धारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 127/75–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 22 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

[सं० 165/75]

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of Section 34 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of Section 34 aforesaid, as is in excess of thirty-three and one third per cent. of the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944, read with any notification for the time being in force issued under the said Act or the rules made thereunder :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply in relation to aluminium in any form—

(i) required by the Central Government to be supplied as levy aluminium in pursuance of the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications and orders issued thereunder; or

(ii) manufactured by any person out of aluminium of any other form that has been supplied, in pursuance of the Order referred to in clause (i), as levy aluminium :

Provided further that the auxiliary duty so leviable shall not, in any case, exceed twenty per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of Section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944.

[No. 166/75]

सा० का० नि० 411 (अ).—वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 34 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को, पूर्वोक्त धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक हो :

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट किसी भी आकृति के ऐसे एल्युमिनियम को लागू नहीं होगी,—

(i) जिसे, एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं और आदेशों के साथ पठित उक्त आदेश के अनुसरण में, जैसा कि जबह तत्समय प्रवृत्त हो, "लैबी एल्युमिनियम" के रूप में प्रदाय किए जाने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हो ; अथवा

(ii) जो उपर्युक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में "लैबी एल्युमिनियम" के रूप में प्रदाय किए गए किसी अन्य आकृति के एल्युमिनियम से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित किया गया हो ।

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहणीय सहायक शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा ।

[सं० 166/75]

G.S.R. 412(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required by the Central Government to be sold or supplied as levy aluminium in terms of the provisions contained in the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications issued thereunder, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated on the basis of the sale price fixed by the Central Government, from time to time, in terms of the provisions contained in the aforesaid Order, as the price payable for such aluminium to the producer thereof.

[No. 167/75]

MALHOTRA, Under Secy.

सा० का० नि० 412 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को, जो एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के साथ पठित उक्त आदेश में, जैसा कि वह तत्समय प्रवृत्त हो, अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, "लैश्ची एल्युमिनियम" के रूप में बेचे या प्रदाय किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे एल्युमिनियम के लिए उसके उत्पादक को संदेय मूल्य के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त आदेश में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, समय समय पर नियत विक्रय मूल्य के आधार पर संगणित शुल्क से अधिक हो।

[सं० 167/75]

पी० एन० मल्होत्रा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975